लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 21 to 32]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 25; सोमवार, 21 अगस्त, 1978/30 श्रावण, 1900 (शक)
No. 25; *Monday, August* 21, 1978/*Sravana* 30, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
स्थगन और ध्यान आकर्षण आदि प्रस्तावों के बारें में	Re. Motions for Adjournment, Calling Attention, etc.	1
संविधान (45 वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Forty-fifth Amendment) Bill.	1—27
खंड 33 से 45	Clauses 33 to 45	1—27

1—324 L.S.S. N.D./78

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 अगस्त, 1978/30 श्रावण, 1900 (शक)
Monday, August 21, 1978/Sravana 30, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

स्थगन और ध्यान आकर्षण, आदि प्रस्तावों के बारे में
RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT, CALLING ATTENTION, ETC.

अध्यक्ष महोदय : जमशेदपुर की घटनाओं के बारे में मुझे कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मिले हैं । मैं उस पर चर्चा के लिए कल या परसों समय दूंगा । **(व्यवधान)**

श्री० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): मैं नियम 376 और 380 और 381 के बारे में आपका मार्गदर्शन चाहता हूं । कई सदस्य एक साथ बोले हैं । हमारी बात रिकार्ड ही नहीं हो पाती ।

संविधान (45वां संशोधन) विधेयक—**जारी**
CONSTITUTION (FORTY-FIFTH AMENDMENT) BILL—*Contd.*

खण्ड 33 से 45

अध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान (45 वां संशोधन) विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे । इससे पूर्व मुझे सभा को सूचित करना है कि खंडों और संशोधनों पर मतदान पर 3 बजे म० प० मतदान होगा ।

अब विधेयक के खंड 33 पर विचार किया जाएगा ।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : विधेयक के खण्ड 33 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 257-A को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है । इस अनुच्छेद का सम्बन्ध केन्द्र की सशस्त्र तथा अन्य सेनाओं को राज्यों में भेजने से है । उक्त खण्ड में इससे सम्बद्ध संशोधन किया जाना चाहिए ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री० शांती भूषण) : जब कानून तथा व्यवस्था राज्य का ही विषय है तो फिर बिना राज्य की अनुमति के केन्द्र को वहां सशस्त्र सेना भेजने की शक्ति प्रदान करना ठीक नहीं होगा । अत: मैं इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

खंड 34

श्री० सौगत राय (बैरकपुर) : मैं संशोधन संख्या 226 पेश करता हूं ।

श्री० कंकर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 241 पेश करता हूं ।

श्री० हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं संशोधन संख्या 284 और 285 पेश करता हूं ।

श्री० सुशील कुमार आरा (तामलुक) : मैं संशोधन संख्या 317 पेश करता हूं ।

श्री० राघवजी (विदिशा) : मैं संशोधन संख्या 398 पेश करता हूं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं संशोधन संख्या 411 पेश करना हूं ।

Shri Kanwarlal Gupta: Sir, we must do everything to help the poor. So far as this clause 19(1)(f) regarding socio-economic conditions are concerned we should do even more. You have mentioned seven freedoms viz., Right of movement, Right of speech, Right of thought, Right to purchase and acquire property but if you take away the right to purchase and acquire property the other right will also have no meaning. I want that full compensation be made if any property is acquired by Government. You should liberalize the clause of compensation. Are you going to think that only Tatas, Birlas, and Dalmias want to get compensation? No it is the poor people who will suffer. So you should keep this right also as these are inter-dependent.

श्री हरि विष्णु कामत : सम्पति के अधिकार से सम्बद्ध संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह अनुच्छेद 21 की भाषा तथा शब्दों से अनुरूप हो । बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किये किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । यदि वह संशोधन स्त्रोकार्य नहीं हो तो "विधिवत कानूनी प्रक्रिया के बिना" जो कि अमरीका के संविधान में लिख हुए हैं । उन्हें यदि उस खण्ड में जोड़ दिया जाय तो भी अच्छा होगा ।

श्री सुशील कुमार आरा : विधि मंत्री ने शहरी सम्पति के अधिकत सीमा के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है । शहरी क्षेत्र में खुली जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जब कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई भूमि की अधिकतम सीमा को दो बार घटा कर काफी कम कर दिया गया है । शहरी क्षेत्रों में सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी सम्पति पर भी कुछ सीमा लगाई जानी चाहिए । अतः मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसके लिए खण्ड में अपेक्षित संशोधन किया जाये ।

Shri Raghavji: Sir, I welcome the more to do away with the right to property but there should be certain safeguards. No property should be acquired for purposes other than the public utility works. Property should not be acquired because of personal or political vendetta. There should be no provision in the Constitution to acquire property due to these reasons.

The property whose value is less than one lakh rupees should not be acquired without paying compensation. Compensation should be paid properly if land is acquired for school, temple, dharamshala etc.

श्री पी० जी० मावलंकर : विधि मंत्री को हमें बार-बार यह नहीं बताना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किए उसकी सम्पति से वंचित नही रखा जायगा । इन शब्दों में बहुत अस्पष्टता है इसलिए "कानूनी अधिकार के बिना" शब्दों के स्थान पर "विधिवत कानूनी प्रक्रिया के बिना" शब्द प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए । "उपयुक्त कान ी

प्रक्रिया" शब्द जोड़ने का उद्देश्य यही है कि न्यायिक पुनरीक्षण का अवसर निरन्तर मिलना चाहिए। ज्यों ही हम यह कह देते है कि "बिना कानूनी अधिकरण के" तो इसका तात्पर्य यह होगा कि हमने सम्पूर्ण अधिकार तत्कालीन सरकार को दे दिये है। इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए "विधिवत् कानूनी प्रक्रिया" शब्दों सम्बधी मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

भारत की राजनितिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं यही चाहता हूं कि सम्पति के अधिकार को भौतिक अधिकारों से अलग किया जाना चाहिए। इस बात पर मेरा कोई विवाद नहीं है। परंतु इसके साथ ही मैं यह भी नही लादता कि यह अधिकार इतना लचीला बन जाये कि इसके लिए मुआवजा भी न मिल सके तथा सम्पति का अधिकार समाप्त ही हो जाये। इसलिए यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी सम्पति से वंचित किया जाता है तो सरकार को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए किस सार्वजनिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए वह सम्पति अर्जित की जा रही है। खण्ड 34 में इससे सम्बधित संशोधन किया जाना चाहिए।

श्री सौगत राय : खंड 34 में नये शब्द रख कर सम्पति का अधिकार समाप्त किया जा रहा है।

इससे सम्पन्न वर्ग को परोक्ष सहायता मिल सकती है। बैंकों के राष्ट्रीयरण के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सम्पत्ति के अधिग्रहण की स्थिति में बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। बाद में संविधान को बदलकर 'मुआवजे' के स्थान पर 'रकम' शब्द रख दिया गया। सम्पत्ति को 'रकम' देकर अधिग्रहण किया जा सकता है जो एक रुपया भी हो सकती है। अब हम सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बगैर कोई सुरक्षा प्रदान किये निकाल रहे हैं। यदि सरकार किसी की सम्पत्ति को लेती है तो उसके मुआवजे के लिए वह न्यायालय में नहीं जा सकता। किसी को बाजार दर मुआवजा दिया जा सकता है और किसी को एक रुपये की राशि देकर उसकी सम्पत्ति को अधिग्रहण किया जा सकता है। यह बराबरी के अधिकार का हनन है। मैं अपने संशोधन को पढ़ता हूं :—

"24वीं पंक्ति के बाद, यह रखें—

"300 ख—अनुच्छेद 300 क में जो कुछ भी है, उसके बावजूद, यदि कोई सम्पत्ति जरूरी तौर पर अधिग्रहण की जाती है या कानून द्वारा नियत की गयी रकम, या ऐसे रकम जो उस कानून में दिये गये नियमों और दिये जाने के तरीकों के अनुसार निर्धारित की गयी हो, पर माँगी जाती है; तो उस नियम को इस आधार पर कि निर्धारित या नियत की गयी राशि पर्याप्त नहीं है या उस रकम को पूर्ण रूप से या अंशतः नकदी के अलावा किसी अन्य रूप में दिया जायेगा या वह कानून अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के अनुरूप नहीं है, या उसको छीनता है या कम करता है? अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।"

यदि सरकार वास्तव में ही सम्पन्न वर्गों के कुछ अधिकारों को लेना चाहती है तो इस सम्बन्ध में सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए; अन्यथा वे न्यायालय में जायेंगे जो अनुच्छेद 14 के अनुरूप आदेश देगा।

कानून, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ती भूषण) : इनमें से किसी को संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में अन्तर है। मौलिक अधिकार को निर्वाचित विधायिका के विरुद्ध भी प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरी ओर कानूनी अधिकार कार्यपालिका के विरूद्ध है। सवाल यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों में विश्वास किया जाये या उनका भी विश्वास न किया जाये जहां तक मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, गरीब देश के सन्दर्भ में बहुत से मूल अधिकार हैं। मेरा विचार है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सम्पत्ति है तो वह केवल उसके व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम नहीं है, पूरी व्यवस्था का परिणाम है। अतः भारत जैसे प्रजातंत्र और गरीब देश में एक सीमा से अधिक सम्पत्ति रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी कानन के बिना किसी की सम्पत्ति को नहीं लिया जायेगा। सम्पत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार रहेगा।

उच्चतम न्यायालय ने भी सम्पत्ति के मौलिक अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों में अन्तर स्वीकार किया है। इस देश में हमें सम्पत्तिकों अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, अन्यथा गरीब लोगों के बीच हमारी विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी। यदि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों में यह विश्वास नहीं है कि वे बुद्धिमत्तापूर्वक इसका प्रयोग करेंगे, तो भी बराबरी का अधिकार रहेगा। कोई भी कानून जिसमें बराबरी को छीना गया है, वह अनुच्छेद 14 द्वारा अवश्य ही आधारित किया जायेगा। विधायिका में हमारा विश्वास होना चाहिए कि सम्पत्ति के अधिकार को समूचे समाज के भले के लिए नियमित किया जाना है।

इसके लिए कानून द्वारा निश्चित प्रक्रिया या कार्यविधि को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे इसे फिर से मौलिक अधिकार बना दिया जायेगा।

डॉ० बी० ए० सैयद मोहम्मद (कालीकट) : अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 19 (1) (एफ) को निकाल कर और अनुच्छेद 19 (1) (एफ) को रखकर आप 'बाजार-मूल्य' के सिद्धान्त को वापिस ला रहे हैं। अनुच्छेद 13 को निकाल कर सरकार का उत्तरदायित्व केवल 'रकम' अदा करना मात्र रह जाता है, वह रकम चाहे जो भी हो। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये।

श्री शान्ति भूषण : अनुच्छेद 19 (1) (जी) मौलिक अधिकार था जिस पर कुछ प्रतिबन्ध हैं। तर्कसंगत प्रतिबन्ध हैं और रहेंगे यदि अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और अनुच्छेद 31 को निकाल भी दिया जाता है, तो भी सम्पन्न व्यक्तियों के अधिकार बढ़ते नहीं है, वे कम होते हैं। जब आप कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास उचित सीमा तक व्यापार करने का अधिकार रहेगा तो आपको उस व्यापार के लिए आवश्यक उपकरण रखने की अनुमति देनी होगी। सम्पत्ति रखने का मूल अधिकार लिया जा रहा है।

डॉ० बी० ए० सैयद मोहम्मद : मेरा मतलब यह था कि इस नियम में संशोधन से पहले आपको सम्पत्ति के अधिग्रहण पर कुछ रकम अदा करनी पड़ती। इसके बाद आपको बाजार मूल्य देना होगा।

श्री शान्ति भूषण : ऐसा नहीं होगा। यदि समाज के हित के लिए उसका अधिग्रहण किया गया है तो वह बाजार-मूल्य का हकदार नहीं होगा।

श्री बापू साहिब पारूलकर (रत्नागिरी) : इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि 'सार्वजनिक उद्देश्यों को छोड़कर' शब्द अनुच्छेद 300 ए के अधीन शामिल नहीं है तो क्या सरकार यह चाहती है कि निजी उद्देश्यों के लिए भी सम्पत्ति का आधिग्रहण किया जा सकता है ?

श्री शान्ति भूषण : इस विचार के पीछे यह धारणा है कि हमे विधायिका में विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका यह मतलब होगा कि लोगों का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। सभी विधान सदन में विचार विमर्श के बाद बनाये जाते हैं। फिर जनमत इसकी गारंटी हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, नही तो गरीबों के लिए कुछ करने में बाधा पहुँचेगी। संसद और विधायिका पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मै खण्ड 35 का विरोध करता हूं जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहता है। अनुच्छेद 323ए में सरकारी सेवा में आचरण से सम्बन्धित न्यायाधिकरण की व्यवस्था हैं, अनुच्छेद 323 बी में कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित न्यायाधिकरणों की व्यवस्था हैं। इनके द्वारा सरकार प्रभावित व्यक्ति को शीघ्र और सही न्याय दिला सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के प्रशासनिक न्यायाधिकरण की व्यवस्था विश्वव्यापी हैं। सिविल कर्मचारियों, अन्तर्राष्ट्रीय सिविल कर्मचारियों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि में इसकी व्यवस्था हैं। इनमें अपनायी जाने वाली कार्यविधि देश की अदालतों की कार्यविधि से भिन्न हैं। इस प्रकार के मामलों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण वास्तविकता को खोज निकालने में अधिक सक्षम होते हैं।

मेरा मुख्य मुद्दा यह हैं कि इस देश में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्वतंत्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सामने पद के दुरूपयोग, गलत तरीके से दिये दण्ड के मामलों को आसानी से ला सकते हैं। इससे मनमानी कार्यवाही करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

अब मैं कराधान, विदेशी मुद्रा और औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित न्यायाधिकरणों पर आता हूं। औद्योगिक विवाद के मामले अपीलों की बहुत सी व्यवस्थाओं के कारण श्रमिक को सेवा-निवृत्ति या मृत्यु तक पड़े रहते हैं। न्यायाधिकरण से मामला उच्च न्यायालय में जाता हैं और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में। इसमे बहुत लम्बा समय लगता हैं। श्रम न्यायाधिकरण से इसमें और देरी होगी। इसलिए मेरा कहना यह हैं कि अच्छी जानकारी, प्राधिकार और उचित दर्जे वाला प्रशासनिक न्यायाधिकरण बहुत सी अपीलों वाली व्यवस्था से अधिक अच्छी तरह न्याय दे सकता हैं।

अध्यक्ष महोदय : विद्यमान कानून के अधीन क्या विधायिका सभी अपीलों को समाप्त करके प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित नहीं कर सकती ?

श्री आर० वेंकटरामन : मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि अदालतों की लम्बी कार्यवाही के बजाये जल्दी न्याय मिलना चाहिए। इसमें केवल न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय है। जबकी दूसरी व्यवस्था में चार अवस्थाएँ हैं।

बयालिसवां संविधान संशोधन शीघ्र न्याय की व्यवस्था करता है। इसमें केवल दो अवस्थाएं हैं। इसे नहीं निकाला जाना चाहिए।

श्री सौगत राय : महोदय, मैं और मेरा दल इस संशोधन के विरूद्ध हैं। यह अगति-परक है। इस संशोधन को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में पड़े पिछले मामलों के ढेर के कारण लाया गया था। औद्योगिक विवादों के मामलों में अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शरण ली। यहां तक की लेवी सम्बंधी विवाद न्यायालयों में पड़े हैं और सरकार को लेवी वसूल नहीं करने दी। अनुच्छेद को शीघ्र न्याय के लिए जोडा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक स्पष्टीकरण चाहूँगा। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्चतम न्यायालय के लिए सीमित अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के लिए अधिकार, तथ्य और कानून दोनों पर है। तो यह धनी लोगों के लिए लाभदायक तो गरीब लोगों के लिए हानिकारक है।

श्री सौगत राय : अनुच्छेद 323 ए में अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के अधिकार के अन्तरण न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निकाला गया है, उन मामलों के विषय में जिनका उल्लेख खण्ड (1) में किया गया है। उच्च न्यायालय सामाजिक न्याय में बाधा पहुंचाते हैं बकाया मामलों के ढेर वहाँ होते हैं। छोटे छोटे मामलों में आदेश देकर गतिरोध पैदा कर दिया जाता है। न्यायाधिकरण अवसर देने से इन्कार नहीं करते बल्की कार्यविधी को सरल बनाते हैं। हमारा दल चाहता है कि इन न्यायाधिकरणों को रखा जाये। पता नहीं क्यों मंत्री महोदय इसे समाप्त करना चाहते हैं। जब न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गयी थी, उस समय उच्चतम न्यायालय के वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस के कारण इसका विरोध किया था। यह स्वार्थी प्रवृति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आपको न्यायाधिकरणों का कोई ज्ञान नहीं है। योग्य न्यायाधीश इन न्यायाधिकरणों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं।

श्री सौगत राय : इससे मेरी यह धारणा पुष्ट होती है कि अपने पेशे पर जरा सी आँच आते ही सब वकील एक हो जाते हैं।

श्री शान्ति भूषण : प्रशासनिक प्राधिकरण रहेंगे। प्रत्येक प्रकार के मामले को निपटाने के लिए इनकी बहुत अच्छी कार्यविधि होगी। नियमित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। इन न्यायाधिकरणों को अनुच्छेद 136 की शक्ती से बाहर ले जाने तक वे जा सकते थे। उच्च न्यायालय को अधिकार न देने का क्या औचित्य है? गरीब आदमी उच्चतम न्यायालय में जाने की स्थिती में नहीं होता। फिर उच्चतम न्यायालय में भी मामले लम्बे समय तक विचाराधीन पड़े रहते है। मुख्य बात यह है कि जब कोई आदमी उच्चतम न्यायालय में जाने की स्थिति में नहीं होता, आप उसे उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार भी नहीं देते।

इन न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और वस्तुनिष्ठता रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। यह सब विधान और उसके बनाये जाने पर निर्भर है। न्यायाधिकरण में दलीय व्यक्ति हो सकते है और उनका निर्णय पक्षपात पूर्ण हो सकता है और दलगत उद्देश के लिए हो सकता है।

जहां तक देरी का सवाल है, मेरी समझ में यह नहीं आता कि न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी किस प्रकार मशीन की तरह काम करने लगेगा और मामले निपटते जायेंगे। जब वही लोग रहेंगे तो उनकी कार्यक्षमता में क्या अन्तर आ जायेगा। इस बात का अनुभव रहा है कि इन न्यायाधिकारों में कार्य धीमी गति से हुआ है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी।

दोष कार्य-विधि का नहीं है। इसमें कोई औपचारिक कार्य-विधि नहीं है। देरी इसलिए होती है की उच्च न्यायालयों की सदस्य संख्या का सही जायजा नहीं लिया जाता। 10–15 रिक्तीयां वर्षों तक बनी रहती है। जब नया कार्य आता है तो भी सदस्य संख्या नहीं बढ़ाई जाती। इसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है, लेकीन स्थिति इतनी खराब है कि इसे ठीक होने में 3–4 वर्ष लग सकते है।

हमारा उद्देश्य यह है कि अगले चार वर्षों के दौरान सभी न्यायालयों में निलंबित पडे मामलों को निपटा दिया जाए ताकी उच्च न्यायालय में कोई भी मामला 3 से लेकर 6 महीने की अवधि से ज्यादा समय के लिए निलंबित न रहे।

श्री आर० वेंकटरामन : कछ न्यायाधिकरणों का गठन उचित रूप से नहीं हुआ है। मैं भी विधि मंत्री रहा हूं पर मैंने कभी भी विधानमंडल के सदस्यों को न्यायाधिकरणों का सदस्य बनाने के लिए कभी राय नहीं दी। हमने केवल उन्हीं लोगों को न्यायाधिकरण का सदस्य बनाया जो इस कार्य के लिए उपयुक्त थे। संविधान में इस बात की व्यवस्था की जा सकती है अमुक अर्हताओं वाले व्यक्तियों को न्यायाधिकरणों में नियुक्ति की जाए।

श्री शान्तिभूषण : यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि उच्च न्यायालयों का काम धीमी गति से चलता है। उचित कार्यवाही द्वारा उनमें सुधार हो सकता है। उच्च न्यायालयों में अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं अतः उच्च न्यायालयों के स्थान पर न्यायाधिकरण रखने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता।

खण्ड 38

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 38 पर विचार करेंगे, इस संबंध में कई संशोधनों की सूचना दी गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 14 और 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बापुसाहिब पारूलेकर : में अपना संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलोरो (मारमागोआ) : मैं अपना संशोधन संख्या 99 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वी० एम० सुधीरन (अलेप्पी) : म अपना संशोधन संख्या 142, 143 और 144 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : मैं अपना संशोधन संख्या 156 और 157 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपना संशोधन संख्या 165 और 166 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आर० के० महालगी (बेलगाम) : म अपना संशोधन संख्या 175 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 242 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं अपना संशोधन संख्या 252 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरी विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं अपना संशोधन संख्या 286 और 287 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधूबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 294, 295 और 296 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं अपने संशोधन संख्या 302, 303, 304, 305, 306, 307 और 308 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरी विष्णु कामत : मैं अपने संशोधन संख्या 319, 320 और 321 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० सी० काम्बले : मैं अपना संशोधन संख्या 342 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरी विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 349 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बापूसाहिब पारुलेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 383 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर) : मैं अपना संशोधन संख्या 384 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री चित्त बसू (बारसाट) : म अपना संशोधन संख्या 389 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अजीत सिंह दामो (आनन्द) : मैं अपना संशोधन संख्या 390 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी०जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 412, 413, 414 और 415 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसू (कटवा) : मैं अपना संशोधन संख्या 423 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह चिंतनीय बात है कि जनता सरकार अभी हाल ही के इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है । यह देश के इतिहास और संसदीय संस्थान के लिए सर्वाधिक शर्मनाक बात है । देश की आंतरिक स्थिति को इतनी गड़बड़ माना गया कि यहां आपात स्थिति लागू कर दी गई । संविधान के निर्माताओं ने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि संविधान का इतना दुरुपयोग भी होगा । हर व्यक्ति यह समझता है कि आंतरिक गड़बड़ी कहना केवल भुलावा देना था, यह लोगों पर जुल्म किया गया था । इस झूठको लोगों पर न केवल थोपा गया बल्कि अनेक प्रकार से उसे सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया । हम सदैव इस बात के खिलाफ रहे है और अब भी यद्यपि आंतरिक गड़बड़ी का नाम बदल कर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख कर आपात स्थिति सम्बधी उपबंध का विरोध करते हैं ।

देश में ऐसी स्थिति आ सकती है जब वास्तव में युद्ध हो रहा हो या बाह्य हमला हुआ हो उस समय आपात स्थिति सम्बंधी उपबंध लागु किया जा सकता है । तब कोई भी सदस्य उसका विरोध नहीं करता । 1971 में इस सभा ने एकमत से आपात स्थिति की घोषणा का समर्थन किया था लेकिन वर्षों तक इस घोषणा को वापस नहीं लिया गया । जब बाह्य हमले से लोगों मे भय पैदा न किया जा सका तो आंतरिक आपात स्थिति घोषित कर दी गई ।

अब स्पष्ट हो गया है कि संविधान में अनुच्छेद 352 को रखने, जिसमे आंतरिक आपात स्थिति भी आती है, में संविधान निर्माताओं का मतलब देश की जनता में भय पैदा करना था । जब भी सत्ताधारी दल की रुचि के प्रतिकूल कोई लोकतांत्रिक आन्दोलन होगा तो आपात स्थिति घोषित कर दी जायेगी ।

जहां तक 'सशस्त्र विद्रोह' का प्रश्न है, इसको कोई न्यायिक परिभाषा नहीं हो पायी है, प्रस्तावित संशोधन में ऐसा कुछ नहीं है। सशस्त्र विद्रोह है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा ?

जनता सरकार ने मूल अधिकार लौटाने का वचन दिया था और यह कहा था की संवैधानिक उपबंधों का दुरुपयोग न होगा। अब वह अपने वचन से मुकर रही है। सरकार को लोगों को अपने पक्ष में मान कर नहीं चलना चाहिये। लोगों को किसी एक दल, व्यक्ति या लोगों के समूह की दया पर निर्भर नहीं रखा जा सकता।

मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि 'आंतरिक गड़बड़ी' और 'सशस्त्र विद्रोह' दोनों ही शब्दों का खंड 38 में निकालने सम्बन्धी मेरे संशोधन का समर्थन करें।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मेरा विचार है कि अनुच्छेद 352 में से 'आंतरिक गडबड़ी' शब्द निकाल कर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखने से पूर्व स्थिति आ गई है। इस से तो हम अपने उस वचन से मुकर रहे है, जो चुनाव के समय लोगों को दिया था। 'सशस्त्र विद्रोह' की सही परिभाषा नहीं की गई है। कोई भी शरारती सरकार भविष्य में उन शब्दों का अपने अनुकूल अर्थ लगा सकती है और उन्ही 19 महीनों के काले दिनों को फिर से ला सकती है जिनका अनुभव हमने आपात स्थिति में किया है। क्या 'सशस्त्र' शब्द की परिभाषा आयुध अधिनियम से ली जायेगी इसका सामान्य अर्थ होगा। हमारे यहां सिख समुदाय है जिसे तलवार रखनेका अधिकार मिला हुआ है। कई सांस्कृतिक समितियां हैं जो लकडी की तलवारें, चाकू और छुरे रखती है। क्या उन्हे शस्त्र माना जायेगा। जब तक 'सशस्त्र' शब्द की परिभाषा नहीं की जाती तबतक इसे समझना कठिन है। यदि हम 'सशस्त्र' की परिभाषा नही करते, तो भविष्य में सत्ता में आने वाली कोई भी सरकार कतिपय संगठनों पर प्रतिबंध लगा सकती है। गत आपात स्थिति में हमें इसका अनुभव हो चुका है। अतः इन संगठनों के लिए कुछ संरक्षण होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मेरे विचार में सरकार को आन्तरिक आपात स्थिति लागू करने की यह शक्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा के लिये इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है और देश में जो भी स्थिति पैदा हो उसका सामना वर्तमान कानून तथा रक्षा सेनाओं के साथ किया जा सकता है। 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण आपात स्थिति की घोषणा के लिए संविधान में उपबंध हमारी सशस्त्र सेनाओं का अपमान है।

अनुच्छेद 352 में 'युद्ध' शब्द भी प्रयोग किया गया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वह यह स्पष्ट करें कि 'युद्ध' के मुकाबले सशस्त्र विद्रोह से उनका क्या अर्थ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 122 के अधीन केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध 'लडाई' एक अपराध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के लोगों द्वारा शुरु कि गई लडाई को इस 'युद्ध' के बराबर कहा जा सकता है। 'सशस्त्र विद्रोह' के साथ 'युद्ध' शब्द को जोडने से उसका दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है। अतः मैं इस खण्ड को लोप करने के लिए विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि आंतरिक आपात स्थिती के आधार पर आपात स्थिती की घोषणा करने की शक्ति का संविधान से लोप किया जाय। जनता पार्टी ने इस शक्ति के बनाये रखनेका विरोध किया था तथा इस बारे में भारी प्रचार किया था, परन्तु इस दिशा में संविधान का संशोधन करते समय सरकार ने ऐसा नहीं किया है। 'गम्भीर आपात स्थिती' या आन्तरिक उपद्रवों से उत्पन्न होने वाली 'गम्भीर स्थिती' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द

प्रतिस्थापित किये गये है । वास्तव में इनमें कोई भारी अन्तर नहीं है । शक्तो अभी भी है परन्तु परिभाषा अलग हो गई है । इस शक्तो का दुरूपयोग किया जा सकता है और इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था को समस्या है तो इसका सामना करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है क्योंकी कानून और व्यवस्था एक राज्य विषय है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

केन्द्र को इतनी विशाल शक्ति देना राज्य विषय को हथियाना होगा । दूसरे, यदि वास्तव में किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो जाती है तो केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधी—राज्यपाल वहां पर शिफारिश करने के लिये मौजूद है और केन्द्रीय सरकार को यह रिपोर्ट दे सकता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो गई है । अनुच्छेद 352 के अधीन यह शक्ति देना राज्य के क्षेत्राधिकार को हड़पना है और इससे हमारे संविधान के संघाय या अर्धसंघीय ढ़ाचे को हानि हो सकती है ।

यदि कोई भी सरकार कानुन और व्यवस्था को स्थिति नहीं निपट सकती, तो वह वहां पर स्थिती पर नियत्रंण करने के लिये केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने या सशस्त्र सेनाएं भेजने का अनुरोध कर सकती है । सशस्त्र विद्रोह के लिये आन्तरिक आपात स्थिती के उपबन्ध को बनाये रखना वास्तव में राज्यों को बड़ी नगरपालिका या बड़ी पंचायते बनाना होगा ।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मैं आन्तरिक आपात स्थिति के उपबन्ध को पूर्णतया समाप्त करने के लिये कुछ सदस्यों द्वारा की गई मांग का समर्थन करता हूं । जनता सरकार को गत अनुभव से पाठ सिखना चाहिये था । 1977 की क्रान्ती का सन्देश यह था कि लोगों ने आपात स्थिती के विरोध में मत दिया है, जैसा कि जनता पार्टी के लोग कहते है ।

मंत्री जी ने तर्क दिया है की कई एक संरक्षणों का प्रावधान किया गया है और सशस्त्र विद्रोह आदी का प्रतिस्थापन किया गया है । परन्तु, 'सशस्त्र विद्रोह' की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है । विधि मंत्री इस बात की परिभाषा करें कि 'सशस्त्र विद्रोह' से उनका क्या अर्थ है । 'सशस्त्र विद्रोह' के नाम पर इसका दुरूपयोग किया जा सकता है । हमने देखा है कि आपात स्थिति का किस प्रकार से दुरूपयोग किया गया है । यह उपबन्ध सर्वथा अनावश्यक है और इस खण्ड का लोप किया जाना चाहिये ।

Shri Laxminarain Naik : My amendment seeks to substitute the term 'armed rebellion' with 'civil war'. Necessary provision may be made in article 352 of the Constitution. The Law Minister should accept my amendment.

श्री आर० के० महालगी : संविधान में राष्ट्रपति के विरुध्द महाभियोग चलाने की व्यवस्था है । परन्तु प्रधान मंत्री के बारे में तत्सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं है । उसें अपनी शपथ को भंग करने की कोई सजा नही दी जा सकती । केवल पदच्युत ही किया जा सकता है । शाह आयोग ने इस बारे में अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद के 352 के अर्न्तगत उपबन्ध का उल्लंघन किया है । आपातकाल स्थिति को लागू करना संविधान को धोका देनेवाली बात थी, परन्तु वर्तमान सरकार इस स्थिति में नही है कि उसके विरुध्द अदालत में मुकदमा

चलाया जा सके । कहा जा रहा है कि कोई कानून ही नहीं है जिसके अन्तर्गत यह किया जा सके । इस तरह का कोई कानून होना चाहिए कि संसद ऐसा कानून बनाकर भूतपर्व प्रधान मंत्री को सजा दे सके ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : संविधान में 'मंत्री मंडल स्तर का मंत्री' इस तरह का कोई शब्द नहीं है । 'संघीय मंत्री मंडल' का शब्द भी नही है । खंड 38 में जो 'यूनियन कैबिनट' शब्द का प्रयोग किया गया है अथवा मंत्री मंडलीय स्तर के अन्य 'मंत्री शब्द का प्रयोग' किया गया है, उनको जगह 'मंत्री परिषद' शब्द रखा जाय ।

Vinayak Prasad Yadav : My amendment seeks to declaration of emergency after the actual occurrence of war or of any such aggression or armed rebellion. So far as the satisfaction of the President is concerned, he will be bound by the advice of the Council of Ministers. The emergency should not be imposed in peace of time. It should be imposed only in case of civil war or armed rebellion. The Law Minister should consider my amendment.

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान के उपबन्धों का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ और हमने जून 1975 से जनवरी 1977 तक आतंक और नृशंसता के काले दिन देखें । सदन खण्ड 38 से 42 पर बड़ी सावधानी से विचार करे क्यों कि इन खण्डों को सुरक्षा प्रदान किए बिना वे अभी भी लोकतंत्र के लिए खतरा बने रह सकते हैं । यह प्रसन्नता की बात है कि जनता सरकार ने आपात स्थिति सम्बन्धी अध्याय में परिवर्तन किया है और वे संशोधन अन्त:स्थापित किए हैं जिनका सुझाव मैंने 1948–49 में संविधान सभा में और बाद मे पिछले वर्ष एक विधेयक में दिया था ।

जहां तक मुझे याद आता है जनता सरकार ने यह प्रतिज्ञा की थी कि आन्तरिक आपात स्थिति समाप्त कर दी जाएगी और आपातस्थिति सम्बन्धी अध्याय में आवश्यक परिवर्तन कर दिए जायेंगे अर्थात् आन्तरिक गड़बडी पर आपातस्थिति लागू नहीं की जायेगी । वह प्रतिज्ञा पूरी की जा रही है क्यों कि अब राष्ट्रपति को युध्द, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातस्थिति घोषित करने के अधिकार देने का संशोधन किया जा रहा है । यहा विवाद का विषय है कि सशस्त्र विद्रोह क्या है ? सरकार इसकी व्याख्या करें। मेरे विचार 'सशस्त्र विद्रोह' से अर्थ है एक सशस्त्र संस्था द्वारा सरकार का तख्ता पलटने के लिए बार-बार कार्रवाई करना । यदि 'सशस्त्र विद्रोह' की पुरी तरह उचित रूप में और स्पष्ट रूप में व्याख्या कर दी गई तो सदन को इस उपबन्ध को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

मैं यह भी सुझाव देता हूं कि उप-खण्ड (4) में अवधि को 20 दिन से घटा कर 14 दिन कर दिए जाए ।

इस खण्ड में एक कमी रह गई है कि यह स्पष्ट नही किया गया कि ऐसी आपात स्थिति कब समाप्त होगी । इस सम्बन्ध में स्पष्ट उपबन्ध होना चाहिए ।

मेरा यह भी विचार है कि आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार उस स्थिति में नहीं दिया जाना चाहिए जब सशस्त्र विद्रोह का मात्र खतरा हो । क्यों कि छोटे मोटे सशस्त्र विद्रोह का सामना करने के लिए सामान्य कानून पर्याप्त है । यह अधिकार उसी अवसर के लिए दिया जाए जब सशस्त्र विद्रोह वास्तव में हों ।

Shri Hukmdeo Narain Yadav (Madhubani) : We should fulfil all the election pledges. We have promised to nullify the 42nd Amendment. We should go ahead to fulfil this part of our promise. There was an atmosphere of panic and fear during emergency which is unbecoming of a civilised society. We should do our best to avoid any repetition of June, 1975 drama which lead to declaration of emergency by the then Prime Minister just to perpetuate herself in power. We should, therefore, oppose the provision of emergency strongly.

श्री बो० सो० काम्बले : खण्ड 38 के लिए जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि उसमें यह व्यवस्था की गई है कि कथित घटना के होने से पहले भी आपात स्थिति घोषित की जा सकती है । इस प्रकार इस सरकार ने आन्तरिक आपात स्थिति की घोषणा को और सरल बना दिया है । विधि मंत्री इस तथ्य पर विचार करें कि अब आन्तरिक आपात स्थिति घोषित करना विस्फोटक होगा ।

दूसरे संविधान में संविधान के समाप्त होने का उपबन्ध नहीं है । अत: पहले संविधान में आपात स्थिति लागू करने अथवा उसे समाप्त करने का उपबन्ध था । तीसरा कोई कदम सम्भव नहीं था । इन्दिरा सरकार ने आपात स्थिति की विभिन्नता की एक तीसरी बात भी उसमें रखी थी । इस सरकार ने उसी की नकल की है । मैं चाहता हूं कि सरकार इसे स्वीकार न करें ।

जहां तक संसद द्वारा आपात स्थिति के अनुमोदन का प्रश्न है, इसे नहीं मानना चाहिये । अन्यथा समय-समय पर आपात स्थिति का अनुमोदन किया जायेगा और यह मामला चलता ही रहेगा ।

सदस्यों को संसद या लोक सभा का अधिवेशन बुलाने का अवसर देना ताकि वे आपात स्थिति सम्बन्धी उपबंध पर विचार कर सकें, अच्छी बात है । लेकिन यही काफी नहीं है । इस अवधि को एक सप्ताह कर दिया जाये ।

Dr. Baldev Prakash : The amendment under clause 38 says that no emergency will be declared in future on the reasons for which emergency was declared in June, 1975. The term armed rebellion has not been defined, explicitely.

The 'internal disturbances or armed rebellion' words should be deleted, or these words should be defined, so that there is no misuse of this provision in future.

श्री चित बसु (बारसाट) : स्वयं संविधान में तानाशाही चलाने के उपबन्ध हैं । पिछली सरकार ने उनका लाभ उठाया और दुरुपयोग किया । दुर्भाग्य से उन्हीं उपबन्धों को बनाये रखा जा रहा है । क्या लोकतंत्र को ऐसे ही लाया जा रहा है ?

आन्तरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह के बहाने से आपात स्थिति नहीं लगायी जानी चाहिये । उसे शरारती सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है । बाह्य हमले के समय ही आपात स्थिति की घोषणा की जानी चाहिये ।

श्री अजीत सिंह दामी (आनन्द) : जनता सरकार द्वारा अनुच्छेद 352 में 'आन्तरिक गड़-बड़ी' शब्दों को बदलने का संशोधन निहित स्वार्थ के कारण लाया गया है । जिन दलों की कांग्रेस के हाथों 1971 और 1972 में करारी हार हुई थी वे ही इकट्ठे हो गये हैं और जनता पार्टी बनी है । वे ही इन शब्दों को हटाना चाहते हैं । मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस अनुच्छेद में हस्तक्षेप न करें और संविधान निर्माताओं ने जो दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता दिखाई है उसे अनदेखा न करें ।

श्री० पो० जो० मावलंकर : श्रीमती गांधी ने जिस प्रकार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया उससे यह अनुच्छेद बदनाम हो गया है। आंतरिक गड़बड़ी शब्दों को हटाने से समस्या हल नहीं होगी। यह तो बहुत अस्पष्ट हो जायेगा और सशस्त्र विद्रोह की परिभाषा तो अत्यन्त कठिन हो जायेगी। अत: मेरा संशोधन है कि "सशस्त्र सेनाओं के एक ग्रुप द्वारा विद्रोह" शब्द रखे जाये।

इसके अतिरिक्त पृष्ठ 22 पर खण्डों में दिये गये नोट में छ: सुरक्षात्मक उपाय रखे गये हैं जैसे कि राष्ट्रपति को संतुष्टी ही अंतिम बात नहीं होगी। लेकिन क्या इन सुरक्षात्मक उपायों के कारण देश में गड़बड़ी के समय सरकार अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकेगी।

श्री घोरेंद्रनाथ बसु (कटवा) : खंड 38 में से 'आंतरिक गड़बड़ी' और 'सशस्त्र विद्रोह' दोनों ही शब्दों को निकाल दिया जाये। आंतरिक गड़बड़ी में राष्ट्रपति द्वारा आपातस्थिति की घोषणा को न्याय-संगत नही कहा जा सकता। 'सशस्त्र विद्रोह' की परिभाषा दी जानी चाहिए थी। मंत्रीजी इन शब्दों को वापस ले लें।

श्री० एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेंद्रम) : मेरे संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद 352 में से 'आंतरिक गड़बड़ी' शब्दों को हटाना है। मैं 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखने का भी विरोध करता हूं। देश में पहले ही इतने कानुन मौजूद हैं कि सशस्त्र विद्रोह समेत किसी भी स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। जो संशोधन पेश किये जा चुके हैं उनमें जरूरी होने पर सेना के उपयोग का भी उपबन्ध है। मेरी मुख्य आपत्ति यही है कि आंतरिक आपातस्थिति की घोषणा से आंतरिक गड़ बड़ी दबाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। अत: सरकार उन पर पुनर्विचार करे।

श्री एल० के० डोले (लखिमपुर) : हम यह आशा कर रहे थे कि यह सरकार आपातस्थिति से सम्बन्धित उपबन्धों को पूर्णतया समाप्त करेगी। परन्तु यह जानकर आश्चर्य होता है कि आपात-स्थिति को सीधे समाप्त करने का उनके पास साहस नहीं है। वर्तमान सरकार आपातस्थिति सम्बन्धी उपबन्धों को सुन्दर बना रही है। अब इसमें 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ने की मांग की गई है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में सशस्त्र विद्रोह चल रहा है। कई अन्य ऐसे राज्य हैं जो यह कहें कि वहां पर सशस्त्र विद्रोह होने वाला है। अब नियमों की परिभाषा उनकी इच्छा पर निर्भर है कि क्या आपात स्थिति लागू करना उनके लिए सुविधाजनक है या असुविधाजनक है।

जहां तक आपातस्थिति सम्बन्धी उपबन्धी का सम्बन्ध है, संविधान की पवित्रता बनाई रखी जानी चाहिये तथा उसे अछूता रखा जाना चाहिये। आम जीवन में आपात स्थिति पुन: नहीं लगाई जानी चाहिये। अत: 'सशस्त्र विद्रोह' शब्दों का लोप किया जाना चाहिये। हम इस खण्ड का विरोध करते हैं।

श्री शान्ति भूषण : किसी अनुच्छेद पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि किसी भी समय इस देश में कोई अधिक तानाशाह व्यक्ति सत्ता में आ जाता है, तो इसमें किये जा रहे विभिन्न संरक्षणों के कारण उसके लिये उस प्रकार की आन्तरिक आपात स्थिति लाना सम्भव नहीं हो सकेगा, जो इस देश में पिछे लगी थी। संसद तथा विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन पर कोई सेंसरशिप नहीं होगा। आपातस्थिति की घोषणा को अधिसुचना से ही देश की राजनीति या देश के वातावरण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें कई कदम ऐसे थे जिनके फलस्वरूप जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को निलम्बित किया गया। सदस्यों को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या एक मुश्त में लागू किये जा रहे विभिन्न संरक्षणों से इसके

[श्री शन्ति भूषण]

बने रहने की कोई सम्भावना रह जाती है। यदि इस देश में बुरे से बुरा तानाशाह भी सत्ता में आता है तो संविधान में संशोधन होने के बाद वह वैसा वातावरण पुनः पैदा नहीं कर पायेगा जो 1975 से 1977 के बीच रहा था। अतः हमें दोनों में सन्तुलन रखना है अर्थात् सरकार की शक्ति का दुरुपयोग करना सम्भव नहीं होगा और इसके साथ-साथ लोकतंत्र और स्वतंत्रता के हित में उन शक्तियों का उपयोग सम्भव हो सकेगा।

कहा गया है कि सशस्त्र विद्रोह के लिये आपात-स्थिति की घोषणा करने का प्रावधान होना चाहिये। सशस्त्र विद्रोह की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। हमें तो इसे समझना होगा। सशस्त्र विद्रोह तो विधिवत् बनाई गई सरकार के विरुद्ध विद्रोह होता है और इसका उद्देश्य सरकार को हटाना होता है। सरकार को हटाने के लिये शान्तिपूर्ण और लोकतंत्री तरीके अपनाये जाने चाहीये। सशस्त्र विद्रोह नहीं किया जाना चाहीये। यदि कोई बाह्य आक्रमण होता है तो सरकार को बताना होगा कि आक्रमण बाहर से हो रहा है। यदि बाह्य आक्रमण की आन्तरिक सशस्त्र विद्रोह की संभावना है तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिये। ऐसी स्थिति में संरक्षणों की व्यवस्था है। बहुत से संरक्षणों की व्यवस्था की जा रही है ताकि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें। सभी मंत्रीमण्डल के गठन से परिचित हैं, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं।

यह कहा गया है कि युद्ध की समाप्ति पर अमुक समय में आपात-स्थिति समाप्त हो जायेगी, यह व्यवस्था की जानी चाहिए। परन्तु आधुनिक आयुधों को देखते हुए यह बताना असम्भव है कि युद्ध कब समाप्त होगा। वह जमाना बीत गया जब युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जा सकती थी।

यह कहा गया है कि हम यह जोड़ रहे हैं कि आपात-स्थिति की घोषणा से पहले यह आवश्यक नहीं है कि बाहरी आक्रमण हो चुका है। यह एक नया उपबन्ध नहीं है। यह पहले ही से विद्यमान है और इसे बनाए रखना आवश्यक है।

खण्ड 39

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 16 से 39 पेश करता हूं।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : मैं अपने संशोधन संख्या 193 से 195 पेश करता हूं।

श्री बी० सी० काम्बले : मैं अपना संशोधन संख्या 309 पेश करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने संशोधन संख्या 350 से 354 पेश करता हूं।

श्री बी० अरुणाचलम बनाम 'अलादी अरुणा' : मैं अपना संशोधन संख्या 374 पेश करता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं अपने संशोधन संख्या 416 से 418 पेश करता हूं।

श्री दी० अरुणाचलम बनाम 'अलादी अरुणा' : हमारे संविधान में सबसे बड़ा अलोकतंत्री अनुच्छेद वह है जिसके द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रपति शासन के अधीन लाया जाता है।

हमारे संविधान में इस बात को मान्यता नहीं दी गई है कि राज्यों में सरकार केन्द्र की सरकार की तरह बराबर तथा लोकप्रिय है। केन्द्र में सत्तारूढ़ दल हमेशा राज्यपाल के माध्यम से इस खण्ड का लाभ उठाता रहा है। इस अलोकतंत्री खण्ड के कारण केन्द्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा कानूनी सरकार को हटा दिया जाता है। संविधान सभा में संविधान के कुछ निर्माताओं ने इस

अनुच्छेद के विरूद्ध अपना प्रतिरोध प्रकट किया था। जब कोई राज्य सरकार अपना बहूमत खो देती है, तो राज्यपाल का यह उत्तरदायित्व है कि वह बहूमत का दावा करने वाले दूसरे राजनीतिक दल को सरकार बनाने की अनुमति दे। राज्य सरकारों को केन्द्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा उत्पाड़न से बचाया जाना चाहिये और अनुच्छेद 356 को रद्द किया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनुच्छेद 356 का उपयोग राजनीतिक प्रयोजनों के लिये किया गया है न कि किसी प्रशासनिक कारण के लिये। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसका अन्धाधुंध प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 356 इस देश में सरकार के संघीय ढ़ांचे के लिये व्यावहारिक नहीं है। अब वर्तमान संदर्भ में इस देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ़ है। अब अनुच्छेद 356 के दुरूपयोग या राजनीतिक रूप से उसे गलत लागू करने के विरूद्ध कोई संरक्षण नहीं है। हमें खुशी होगी यदि अनुच्छेद 356 को पूर्णतया समाप्त किया जाता है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : संविधान में विद्यमान अलोकतांत्रिक उपबंधों को समाप्त किया जाना चाहिये। आन्तरिक आपातस्थिति सम्बन्धी अनुच्छेद ऐसा ही है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

श्री हरि विष्णू कामत (होशंगाबाद) : अनुच्छेद 356 का कांग्रेस सरकार द्वारा 1952 से 1977 तक 42 बार दुरूपयोग किया है। अतः मैं दो संशोधन पेश करना चाहता हूं। एक संशोधन से अधिक संरक्षण की व्यवस्था है। संसद द्वारा राष्ट्र शासन लागू करने सम्बन्धी संकल्प को पास करने संबंधी संरक्षण है।

मेरा संशोधन यह है कि संसद के दोनों सदनों में इस उद्घोषणा को सदन के दो तिहाई सदस्य पास करें जैसी कि अन्य उद्घोषणाओं के मामले में प्रथा प्रचलित है। इस शक्ति के दुरूपयोग को रोकने के लिए यह सुत्र अधिक कारगर रहेगा। मेरा दुसरा संशोधन राष्ट्रपति शासन की 2 वर्ष की अवधि घटाकर एक वर्ष करने से सम्बन्धित है। क्योंकि कभी-कभी जैसी कि इस खण्ड में व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग को उन राज्यों में चुनाव कराने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है या युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की परिस्थितियों में जब आपातस्थिति लागू हो जाती है तो चुनाव करना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः बेहतर तो यही होगा कि इस प्रावधान को समाप्त ही कर दिया जाये। यदि इसे समाप्त नहीं किया जाये तो वह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अवधि एक वर्ष से अधिक न हो, उपयुक्त एहतियात बरती जाये और यह भी सुनिश्चित किया जायें कि संसद इसे दो तिहाई बहुमत से पास करेगी।

श्री बी० सी० कांम्बले : जहां तक अनुच्छेद 356 का संबंध है संविधान (42वां) संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया है। संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति के शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। वस्तुतः जब अनुच्छेद 356 के अधिन शक्तियों का प्रयोग किया जाना होता है तो उस समय तो इसका उपयोग नहीं किया जाता। जब मराठवाडा में दंगे हुए तो वहां पूरे 10 दिन तक किसी प्रकार की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, और अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों का निवर्हन करने का यह समुचित

2—324 L.S.S. N.D./78

अवसर था। लेकिन उक्त अवधि में ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया। इन शक्तियों का राजनीतिक प्रयोजन से प्रयोग किया जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि उप खण्ड (4) को, जिसे 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम में अधिनियमित किया गया था, समाप्त कर दिया जाये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अनुच्छेद 356 का अनुच्छेद 352 की भांति बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया है। संविधान निर्माता का तो यह ख्याल भी नहीं होगा कि राष्ट्रपति शासन इतनी जल्दी-जल्दी लगाया जायेगा।

विधि मंत्री को और अधिक कठोर प्रावधान लाना चाहिये। यह प्रावधान राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में लागू किया जाता है। पिछली केन्द्रीय सरकार द्वारा पैदा किये गये कृत्रिम संकट के अवसर समाप्त कर दिए जाने चाहियें अतः राष्ट्रपति शासन की अवधि को घटाया जाए।

अतः हमें इसकी अवधि घटाकर कम से कम 120 दिन कर देनी चाहिए। लोगों को बहुत अधिक समय तक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान वहां की जनता से मतदान का अधिकार छीन लिया जाता है। अतः उन राज्यों की जनता, जहां लम्बी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है वहां अपने मूल और वैज्ञानिक अधिकारों एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकारों से वंचित रहता है। इसलिए यह अवधि घटाकर 120 दिन कर दी जानी चाहिए।

श्री शांति भूषण : इस विधेयक के द्वारा अनुच्छेद 356 के लिए प्रस्तावित संशोधन से अत्यधिक व महत्वपूर्ण सुरक्षा मिलेगी। इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि, कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे आपात स्थिति लागू करने के अलावा, 3 वर्ष से घटाकर एक वर्ष की जा रही है। वर्तमान सरकार की यह घोषित नीति है कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू करना अनिवार्य समझा गया तो इसका उपयोग केवल शीघ्र चुनाव लाने के लिए ही किया जायेगा। किन्तु एक वर्ष की अवधि इसलिए रखी गई है ताकि देश के सभी राज्यों में यह प्रावधान लागू किया जा सके। फिर भी हर छः महिने के बाद संसद की सम्मति ली जायेगी।

अब यह सुझाव दिया गया है कि 6 महीने की यह अवधि घटाकर 3 महीने की जानी चाहिए। लेकिन इससे कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि भावना अधिक महत्वपूर्ण होती है।

माननीय सदस्यों की इस भावना की सराहना की जानी चाहिए जिसके अधीन यह संशोधन किया जा रहा है। अतः सदस्यों को अपने संशोधनों के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरी विष्णु कामत : मैं अपना संशोधन संख्या 355 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अरुणाचलम, क्या आप अपना संशोधन संख्या 375 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री वी० अरुणाचलम वनाम अलादी अरुणा : जी हां, श्रीमान जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, क्या आप अपना संशोधन संख्या 406 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री चित्त बसु : जी हां, श्रीमान जी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जाधवपुर) : खण्ड 40 का सम्बन्ध अनुच्छेद 358 के संशोधन से है । हम चाहते हैं कि यह खण्ड समाप्त कर दिया जाये । अब सम्पत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं रहेगा । इसलिए आपात काल के दौरान अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मूलभूत अधिकारों को क्यों स्थगित किया जाये । यह ठीक है कि प्रस्तावित संशोधन में बाह्य आक्रमण या युद्ध आदि की बात की गई है लेकिन अनुच्छेद 19 की राष्ट्रपति की घोषणा, अधिसूचना आदि के अन्तर्गत न रखा जाये । अतः हम इसका सिद्धान्त रूप में विरोध करते हैं कि अनुच्छेद 358 समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपने संशोधन के प्रति अटल हूं । मेरा अनुभव है कि विधि मंत्री से अनुरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा । मैं सदन से अपील करता हूं को मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अनुच्छेद 358 और 359 जुड़वा अनुच्छेद है । अनुच्छेद 358 में खण्ड 40 के संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की जाये कि सरकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत मिले अधिकारों को समाप्त करने अथवा कम करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह समाप्त नहीं किया जा सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तो ठीक है लेकिन 19 महीने के कटु अनुभव के बाद ही मैं यह चाहता हूं कि अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 359 का अनुपूरक बने । मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय अन्यथा अनुच्छेद 359 के संशोधन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक इसे अनुच्छेद 358 में जोड़ा नहीं जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आपके संशोधित खण्ड से अनुच्छेद 32 समाप्त हो जाता है । और केवल अनुच्छेद 21 रह जाता है । मूल अनुच्छेद 359 से सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं । अतः अनुच्छेद 21 की रक्षा करने के बाद भी उच्चतम न्यायालय से अनुरोध नहीं किया जा सकता ।

श्री शांति भूषण : अनुच्छेद 358 के प्रभाव को सर्वथा बदला जा रहा है । यह अनुच्छेद 19 में निहित सभी मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने वाले किसी कानून और प्रत्येक कानून को वैध करार करने के लिए लागू नहीं होगा यह उन कानूनों की सुरक्षा प्रदान करता है जो आपात स्थिति के कारण उत्पन्न परिस्थितियों अथवा कठिनाइयों को हल करने के लिए बनाये गये थे ।

जहां तक अनुच्छेद 21 का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं कर सकता । यह केवल अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत ही स्थगित किया जा सकता है । इसलिए अनुच्छेद 21 सदैव जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करता है चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो ।

खण्ड 41

Clause 41

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं ।

3—324 L.S.S. N.D./78

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 425 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : मैं अपना संशोधन संख्या 426 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सिधान्त रूप में अनुच्छेद 358 और 359 के रखे जाने के विरूध्द हैं तथा यह चाहते है कि उन्हें निकाला जाय । सरकार के पास आपात स्थिति के निपटने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं । कम से कम यह हर्ष की बात है कि अनुच्छेद 21 का पूर्ण सुरक्षा की गई है और आपात स्थिति मे इसे समाप्त नही किया जा सकता । यद्यपि सरकार इस अनुच्छेद को बनाये रखना चाहती है तो भी मूल भूत अधिकारो को उसी आधार पर रखा जाये ।

श्री जी० एम० बनातवाला : खेद की बात है कि मौलिक अधिकारों का आदर नहीं दिया जा रहा है । अध्याय 3 में उल्लिखित मूलभूत अधिकारो को प्रत्येक स्थिति में बनाये रखा जाये । इन्हें कभी नहीं समाप्त किया जाना चाहिए यदि सरकार को यह स्वीकार्य नही तो अनुच्छेद 21 के समान अनुच्छेद 25 को भी आपात स्थिति में कभी स्थगित न किया जाये । अनुच्छेद 25 आत्म स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि से सम्बन्धित है यह सरकार के कार्यकरण में बाधा नहीं डालता ।

श्री के० ए० राजन (त्रिचुर) : खण्ड 41 बहुत ही घातक उपबन्ध है । इसे हटा दिया जाना चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Article 21 is being given protection under Clause 41. Some protection should be provided for Article 20, so that no government can make any offence with retrospective effect during the emergency.

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : कमसे कम अध्याय 3 के मूलभूत अधिकारों को सरकार का कभी समाप्त नही करना चाहिए यह बड़ी गम्भीर बात है । यह हमें स्वीकार्य नहीं है अनुच्छेद 358 और 359 निरर्थक है । इन्हे समाप्त कर दिया जाना चाहिए । मौलिक अधिकारों को मूअत्तल करना बहुत ही गम्भीर बात है ।

श्री शांति भूषण : यह कहा गया है कि अनुच्छेद 21 ही नहीं वरन 20 भी जीवन और स्वतत्रंता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है क्योंकि इसे समाप्त कर एक व्यक्ति के कार्य को पिछले समय से अपराध घोषित कर उसे तंग किया जा सकता है । जबकि वह कार्य उसने उस समय किया था जब वह कार्य अपराध नहीं था मैं इस संशोधन को यह मानकर स्वीकार करता हूं कि अनुच्छेद 20 को भी अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 359 के परंतुक में जोड़ दिया जाये ।

जहां तक अन्य मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों ने कहा है कि अनुच्छेद 359 को पूर्णत: समाप्त कर दिया जाये । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आपात स्थिति किसी कारण वश घोषित करनी पड़ती है और यदि कोई मूलभुत अधिकार देश को सुरक्षा बनाये रखने में बाधा बनता है तो उन्हे आड़े नही आने दिया जायेगा ।

जहां तक अनुच्छेद 32 का सम्बन्ध है मैं नही समझता कि इससे कोई बाधा उत्पन्न होती है । कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है यद्यापि उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है । अन्य बहूतसे ऐसे मूलभुत अधिकार है जिन्हे कोई सरकार स्थगित नहीं करेगा । अनुच्छेद 359 के सन्दर्भ में प्रत्येक मूलभूत अधिकार के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना पडेगा ।

खण्ड 42

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 22 पेश करता हूं ।

श्री एडुआर्डो फेलीरो : मैं अपना संशोधन संख्या 403 पेश करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं धारा 360 का लोप चाहता हुं क्योंकि इस के द्वारा केन्द्रीय सरकार को, प्रतित होता है, राज्य सरकारों को ऐसी वित्तीय प्रक्रियायें अपनाने सम्बन्धी कुछ निवेश देन तथा ऐसे अन्य निवेश देने, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति उचित समझे, की शक्ति दी गयी है। जहां तक धारा 360 के अन्तर्गत आपातकालोन परिस्थिति की उद्घोषणा करने का प्रश्न हैं, इस के में बारे कोई मार्गदर्शी बाते निर्धारित नहीं की गई है । इसका अर्थ राज्य सरकार को शक्ति को कम करना हो सकता है ।

केन्द्र के हाथ में शक्ति का केन्द्रीयकरण संविधान के संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं है और इससे केन्द्रीय सरकार को बात ना मानने वाली राज्य सरकारों के कार्यो में हस्ताक्षेप का अवसर मिलता है । इस प्रावधान द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों के कार्यो में हस्ताक्षेप करने की शक्ति है । धारा 360 संघीय ढांचे को सरकार के उचित कार्यकरण में एक बाध्य है और इसे हटाया जाना चाहिये ।

श्री एस० जो० मुरूगेसन : आपातकालिन स्थिति घोषित करने सम्बन्धी संविधान की धारा 360 संघीय ढांचे के प्रतिकुल है । इसका किसी स्वार्थ के लिए दूरूपयोग हो सकता है । इसे संविधान से हटाया जाना चाहिये ।

श्री शांतिभूषण : मै धारा 360 के लोप किये जाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इस धारा का उद्देश्य देश की वित्तीय संकट से रक्षा करना है । यदि कभी वित्तीय संकट हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इस प्रकार की धारा जरूरी है ।

खण्ड 43

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं अपना संशोधन संख्या 51 पेश करता हूं ।

श्री आर० के० महालगी : मैं अपना संशोधन संख्या 176 पेश करता हूं ।

श्री राघवजी : मैं अपना संशोधन संख्या 399 पेश करता हूं ।

श्री जी० एम० बनतवाला : इस बात को आधे मनसे स्वीकार किया गया है कि कोई भी हालात हो, संसद तथा विधान सभाओं की कार्यवाहियों पर सेंसरशिप नहीं होंगी ।

19 महिने के अनुभव के पश्चात लोग सरकार से ऐसी संवैधानिक गारंटी की आशा रखते है कि स्वतंत्र तथा प्रजातांत्रिक देश में किसी भी स्थिति में किस भी प्रकार के प्रकाशन पर लाग नहीं की जायेगी । खंड 43 सम्बन्धी मेरे संशोधन का उद्देश्य प्रकाशन को पूरी आजादी हो और किस भी दशा में सेंसरशिप न हों ।

श्री आर० के० महालगी : संसद की किसी भी सभा अथवा राज्य विधान सभा की कार्यवाही का समाचार पत्रों के अतिरिक्त कही अन्य रूप से प्रकाशित करने की आजादी न्यायालय की कार्यवाही से ऐसे ही मुक्त होनी चाहिये जैसे कि समाचार पत्र मे प्रकाशित होने की दशा मे होती है ।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी : खंण्ड 43 मे "यदि सिद्ध हो जाये कि प्रकाशन किसी बुरी भावना से है" शब्द को प्रकाशन की आजादी के हित मे नई धारा 361 क (1) से हटा दिया जाये ।

Shri Raghavji: Clause 43 gives protection to the publication of the proceedings of Parliament and State Legislatures. The same protection should be provided to the publication of the proceedings of Courts.

श्री शांती भूषण : सुझाव दिया गया है कि खंड के द्वारा सेन्सरशिप पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये था। धारा 19 में भाषण की आजादी है। जिसमें प्रेस की आजादी भी शामिल है। देश की रक्षा के हित में वही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो उचित हों। खंड 43 का उद्देश यह सुनिश्चीत करना है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान भी राष्ट्र की आवाज को बंद न किया जाये क्योंकि इस सभा अथवा किसी विधान सभा की आवाज राष्ट्र की आवाज हो सकती है।

खंड 44

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मैं अपना संशोधन 23 संख्या पेश करता हुं।

श्री मृत्युंजय प्रसाद (सिवान) : मैं अपने संशोधन संख्या 31 और 32 पेश करता हूं।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी : मैं अपना संशोधन संख्या 86 पेश करता हूं।

श्र पी० के० कोडियान (अडूर) : मैं अपने संशोधन संख्या 200 और 201 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वयालार रवि : मैं अपने संशोधन संख्या 253 और 254 पेश करता हूं।

श्री बो० सो० काम्बले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं अपने संशोधन संख्या 310, 311 और 343 पेश करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलोरो : मैं अपना संशोधन संख्या 404 पेश करता हूं।

श्री चित्त बसु : मैं अपना संशोधन संख्या 409 पेश करता हूं।

श्री पो० जो० मावलंकर : मैं अपने संशोधन संख्या 419 और 420 पेश करता हूं।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : सरकार ने अपने संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना के 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवाद' शब्दों का लक्षण प्रस्तुत किया है। यह लक्षण काफी भ्रामक है। जब तक उत्पाद, वितरण तथा आदान-प्रदान के साधनों के स्वामित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता तब तक 'समाजवाद' शब्द, खोखला शब्द ही बना रहेगा। इसलिए खंड 44 का संशोधन किया जाना चाहिए।

Shri Mritunjay Prasad: The definition of 'Secular Republic' should be made more clear. Religion should not be allowed to come in the affairs of state and vice-versa.

In the case of socialist republic. I want to add "socialist republic means a republic in which the values of justice, liberty, equality and fraternity are realised and there is freedom from all forms of exploitation, social, religious political and economic". This amendment is only to remove any clause of doubt.

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : संविधान की प्रस्तावना में से "समाजवाद, धर्म निरपेक्ष" शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए इन शब्दों से केवल भ्रांति पैदा होगी। प्रस्तावना में वे सब बातें पहले ही से शामिल है जो इन शब्दों में निहित हो सकता है।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : धर्मनिर्पेक्षता की परिभाषा में सुधार किया जाना चाहिए। हमारे विचार में धर्मनिर्पेक्षता सभी धर्मों का आदर करने से भी कुछ अधिक और व्यापक है। धर्म निर्पेक्षता का सिद्धान्त यह है कि राज्य और धर्म एक दूसरे पृथक होने चाहिये।

धर्म-निर्पेक्षता का दूसरा मूल्य पहलू यह है कि किसी नागरिक के साथ किसी धर्मविशेष में विशाल रखने का आधार पर मतभेद नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों को समान अधिकार तथा अवसर हैं। अतः धर्मनिपेक्षता की परिभाषा मे उचित संशोधन किया जाना चहिये।

समाजवाद के बारे में मंत्री ने एक संशोधन दिया है जिस में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारा प्रजातंत्र एक ऐसा सामाजिक प्रजातंत्र है जिस में आर्थिक, राजनैतिक, तथा सामाजिक कारणों से किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। इस प्रकार के शोषण से कैसे मुक्ति हो सकती है। हमारी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था ही शोषण की जड़ है। समाजवाद की परिभाषा में भी सुधार किया जाना चाहिए।

श्री वयालर रवि (चिरयिकील) : विधेयक में की गई धर्म निरपेक्षता की परिभाषा संविधान की भावना के विरुद्ध होगी। धारा 19 तथा 20 में सभी अल्पसंख्या को आरक्षण दिया गया है। "धर्मनिरपेक्षता" की परिभाषा से सुरक्षण सिमित हो गया है। आदर करने से ही अल्पसंख्य को आजादी तथा सुरक्षण नहीं मिलेगा। इससे देश के करोडों निवासियों का अहित होगा अतः मंत्री महोदय इसे वापस ले ले।

विभिन्न विचार धाराओं के लोगोने इकट्ठे होकर जनता पार्टी बनायी और वे नयी परिभाषायें करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्हें पहले यह काम अपनी पार्टी मेनुफिस्टो द्वारा करना चाहिए था, संविधान द्वारा नहीं।

समाजवाद एक वैज्ञानिक समाजवाद होना चाहिए। विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ सिमित हो गया है। यह अल्प संख्यकों तथा गरीबों के विरुद्ध है। अतः "धर्मनिरपेक्षता" तथा "समाजवाद" की परिभाषायें वापिस ली जाए।

श्री बी० सी० काम्बले : धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद की परिभाषाओं के बारे में दो मत नहीं हो सकते। "सेकुलर" का अर्थ एक प्रभार से संस्कारिक ही होता है और विधेयक में की गयी परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ यह है कि सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। परिभाषा का संशोधन इस ढंग से किया जाए जिससे समाजवाद का अर्थ एक ऐसा गणतंत्र हो जिसके कार्य गैर धार्मिक हो और यहां धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करे।

यदि विधेयक में दी गई समाजवाद की परिभाषा को स्विकार किया जाये तो इसे "समाजवाद" नाम न दिया जाकर कोई और नाम दिया जाए यह समाजवाद का अर्थ नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : संविधान (45 वे संशोधन) विधेयक का उद्देश्य 42 वे संशोधन द्वारा किए गए संविधान के तरोड़मरोड़ को ठीक करना है। लेकिन खेद की बात तो यह है कि ऐसा करते हुए भी संविधान का तरोड़ मरोड़ हो रहा है जो प्रस्थावना में दी गई परिभाषाओं से विदित है।

समाजवाद का अर्थ वह नहीं जो 42 वे संशोधन में दिया गया है इसका अर्थ तो संविधान में ही दिया गया है। 42 वे संशोधन का उद्देश्य तो इस अर्थ को और अधिक स्पष्ट करना था। इस विधेयक में समांजवाद की परिभाषा करते हुये समाजवाद का ही मजाक उड़ाया गया है।

सभी शब्दकोषों अथवा आर्थिक या राजनीतिक दर्शन के अनुसार समाजवाद की एक ही व्याख्या है अर्थात् "ऐसा सिध्दान्त जिसके अनुसार उत्पादन के सभी साधन सरकार

[श्री एडुआर्डो फलेरो]

के द्वारा चलाए जायें' यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो उसे संविधान से समाजवाद का नाम हटा देना चाहिए। यदि वे उसे नहीं हटाते तो उन्हें समाजवाद वह अर्थ देना चाहिए जो उसके उपयुक्त हो।

श्री चित्त बसू (बारासाट) : समाजवाद शब्द का अपना अलग अर्थ है, महत्व है। इसमें कुछ निहित बातें है। इनमें एक है शोषित और शोषणकर्ताके बीच सम्बन्ध तथा दूसरी है सरकार का स्वरूप। समाजवाद की एक और बात है कि सभी उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार। उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की न्यूनतम परिभाषा को मानने के अतिरिक्त समाजवाद के सम्बन्ध में और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अन्यथा व्याख्या का जो परिवर्तन अब किया गया है मात्र भाषा का ही कुछ परिवर्तन रह जाएगा। हालांकि समाजवाद शब्द हमारे संविधान मे है फिर भी सम्पत्ति का कुछ ही लोगों के हाथ में जमाव है। संविधान मे समाजवाद शब्द हटा देने से या कोई दूसरा शब्द जोड देने से कोई प्रभाव नहीं पडता है, पूंजीवाद वर्ग का राज्य बना ही रहेगा। मेरा समाजवाद का संशोधन बहुत ही सरल है और सदन को समाजवाद के इस न्यूनतम तत्व को मान लेना चाहिए कि उत्पादन और विवरण के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। अपने संशोधन में मैंने यहि सुझाव दिया है। में चाहता हूं कि समाजवाद के इस सिद्धांत को मान लिया जाना चाहिए अन्यथा समाजवाद शब्द को संविधान से अलग कर देना चाहिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन जानता है अनुच्छेद 366 में जैसा कि वह आज है 30 परिभाषायें हैं। और मंत्री महोदय इस अनुच्छेद में दो और जोड़ना चाहते है। इसलिये किसी शब्द को व्याख्या ही नहीं की जानी चाहिए। इस प्रस्तावना को आपातकाल में संशोधित किया गया था जबकि वह संविधान 44वां संशोधन विधेयक था और बाद में 42 वा संविधान संशोधन अधिनियम का समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को सम्मिलित किया गया था। मैं इन सभी आदर्शों से सहमत हूं, उनकी इज्जत करता हूं तथा मैं इनके लागू किये जाने के पक्ष में हूं।

'धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद' शब्दों की व्याख्याओं में मैंने दो संशोधन दिये है। 'धर्म निरपेक्ष' शब्द की व्याख्या मे कहा गया है: "जहां सब धर्म बराबर हों" यह पर्याप्त नहीं है संविधान के मामले बहुत ही स्पष्ट होने चाहिएं। अतः मैं ये शब्द जोडना चाहूंगा और इसमें किसी धर्म के साथ भेदभाव नही किया जायेगा। जहां तक समाजवाद का अर्थ है विधेयक मे कहा गया है कि कि उसका अर्थ है हमारा लोकतंत्र जहां सभी प्रकार के शोषण को छूट है। यहां मैं "जहां सामाजिक न्याय हो और जहां किसी भी प्रकार के कट्टर सिद्धांत से स्वतंत्र समतावादी समाज के लिये प्रयत्न किया जाये"। सरकार इन संशोधनों को स्वीकार करें।

श्री आर० वेंकटरमन (मद्रास-दक्षिण) : मैं इस खण्ड 45 का विरोध करता हूं। इस खण्ड को रखने की कोई भी आवश्यकता नही है। व्यवस्था की कोई आवश्यकता नही है। जो प्रस्तावना इस समय है वह संविधान के उद्देश्य को पूरा करती है। प्रस्तावना बाद मे किसी विषय पर उठने वाले विवाद का उचित विश्लेषण के लिये दिशा दर्शन का काम करती है। संविधान में नया कुछ भी नही जोड़ा जा रहा है। प्रस्तावित खण्ड निरर्थक नहीं है वरन् यह अन्य अनुच्छेदों में की गई व्याख्याओं पर रोक भी लगाता है। इसस विवाद खडे होने पर झगडे को बढ़ावा मिलेगा। अतः मै न्याय मंत्री जी से इसे वापिस लेने की आशा करता हूं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : माननीय सदस्यों से "धर्म निरपेक्षता और समाजवाद" की और कई व्याख्यायें प्राप्त हुई है । जैसा कि एक सदस्य महोदय ने प्रस्ताव किया है कि समाजवाद का अर्थ है सभी उत्पादन के साधनों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना, इस अर्थ को देश ने नही अपनाया है और न ही यह देश इसे अपनाने को तैयार है । मैं पहली बार कांग्रेसी सदस्यों से सुन रहा हूं कि छोटे किसानों को समाप्त कर सरकार सभी भूमि अपने हाथ में ले ले ।

मैं श्री वेंकटरमन का समर्थन करता हूं उनका कहना है उनकि समाजवाद की व्याख्या की क्या आवश्यकता है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब संविधान में अनुच्छेद 39 और 15 थे जिनमें संविधान के दर्शन की पूर्ण व्याख्या की गई है तब संविधान में 42 वां संशोधन कर प्रस्तावना में "धर्म निरपेक्ष" और "समाजवाद" शब्दों के रखे जाने की क्या आवश्यकता थी ? यदि अनच्छेद 15 और 39 में निहित निदेशक सिध्दांत और मूलभूत अधिकार पर्याप्त है तो वे ही उस संशोधन पर लागू हो सकते थे जो इन उद्देश्यों को जोड़ने के लिये लाया गया था । इन शब्दों की कई व्याख्यायें हो सकती हैं। विधेयक में दी गई व्याख्या यथा संभव सबसे बढ़िया व्याख्या है इन दो शब्दों की व्याख्या करना इसलिये जरूरी हो गया क्योंकि जैसे धर्म-निरपेक्ष (सेकुलर) शब्द का अर्थ कई शब्दकोषों मे 'अधर्मिकता' दिया गया है । लेकिन हम यह प्रभाव दूर करना चाहते हैं, इस देश का दर्शन अधर्मिकता है । जहां तक 'समाजवादी' शब्द की परिभाषा का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि यह परिभाषा न केवल सबसे बढ़िया है बल्कि कम से कम विवादास्पद है ।

खण्ड 45

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 45 लेंगे ।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 तथा 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 24 तथा 25 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बापुसाहेब परूलेकर (रत्नागिरी) : मैं अपना संशोधन 46 तथा 47 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 87 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 110 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरेन्द्र पो० नथवानी (जुनागढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या 150 तथा 151 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं अपना संशोधन संख्या 185 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 243, 244 तथा 245 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं अपना संशोधन सख्या 255 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं अपना संशोधन संख्या 277 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हुकुम देव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 297, 298 तथा 299 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० सी० कांबले (बम्बई-दक्षिण-मध्य) : मैं अपना संशोधन संख्या 346 तथा 347 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 356 तथा 357 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वी० अरूणाचलम (तिरुनेलवेली) : मैं अपना संशोधन संख्या 377 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर): मैं अपना संशोधन संख्या 385 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद): मैं संशोधन संख्या 387 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री चित्त बसु (बारसाट): मैं अपना संशोधन संख्या 392 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर): मैं अपना संशोधन संख्या 397 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमा गोआ): मैं अपना संशोधन संख्या 405 प्रस्तुंत करता हूं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 421 तथा 422 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरि विष्णू कामत (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 427 तथा 428 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आज मतदान करना संभव नहो है । हम इस विधेयक को कल 11 बजे लेंगे । क्या इससे सभो सदस्य सहमत है । कुछ सदस्य हां कहते है ।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : खण्ड 45 संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 से सम्बन्धित है । 42 वे (संशोधन) अधिनियम से पूर्व केशवानन्द भारतो के मामले मे उच्चतम न्यायालय मे यह स्थिति स्पष्ट को गई थी कि अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के आधारभूत ढांचे या आकार को नष्ट करने का अधिकार नहो मिलता लेकिन वर्तमान विधेयक के खण्ड 45 से ऐसे संशोधन को भो अनुमति मिल सकेगी जिसका उद्देश्य संविधान के मूलभूत ढांचे को आघात पहुंचाना या नष्ट करना हो सकता है । निसंदेह यह परन्तुक है कि विश्वास का मत प्राप्त किया जाये लेकिन उस मामले मे भो कई कमियां है । जनमत संग्रह का जो प्रावधान है उसमें केवल 26 प्रतिशत मत हो किसी संशोधन को स्वीकार कर सकते है ।

दो तिहाई मतदाताओं द्वारा विश्वास प्राप्त किया जाना चाहिए । मूलभूत अधिकारों की पवित्रता बनाये रखने हेतु यह जरूरी है । इससे संविधान का मूलढांचा भो सुरक्षित रहेगा ।

यह देखते हुए कि हम धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, यह जरुरी है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25,26, 29 और 30 के अधिन मिले नागरिक के अधिकारो को अक्षुण्ण बना दिया जाये । इसी प्रकार भारत की क्षेत्रिय अखण्डता के बारे में भी कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अच्छा है कि सरकारने विश्वास मत (रिफ्रेडम) का सिद्धान्त माना है देश के उचित विकास हेतु संघीय ढांचा ही उपयुक्त है । हांला की यहा पूरे तौर पर संघीय ढांचा नहीं है फिर भी अर्धसंघीय ढांचें में भी किसी को परिवर्तन की अनुमति नही

होनी चाहिये । मूलभूत ढांचे को असंशोधनीय बनाया जाये । इसी प्रकार लोकतंत्रीय और गणराज्य प्रणाली, लोकजमा के प्रति मंत्रिमंडल की सामुहिक जिम्मेवारी आदि बातों को भी जनता के निश्चित राय के बिना असंशोधनोय बनाया जाना चाहिये । इसे भी खंड 45 में अन्त:स्थापित किया जाये ।

श्री बापुसाहेब पहलेकर (रत्नागिरी) : मेरे चार संशोधन है । एक तो खंड 45 में जोडा जानेवाला परन्तुक हटाया जाये इस स्पष्टीकरण को भी हटाये जायें जिसमें संविधान में संशोधन शब्द को व्याख्या की गई है और जिसमें संविधान के मूलढांचे या मूल तत्वों की व्याख्या की गई है । और यह की उन सभी मामलों में विश्वास का मत प्राप्त करने की जरूरत नहीं और यदि विश्वास का मत प्राप्त किया होजाना हैं तो केवल उसी दशा में प्राप्त किया जायें जब संविधान में संशोधन के किसो विशेष प्रस्ताव पर लौकसभा तथा राज्यसभा में मतभेद हो ।

यह ठीक ही कहा गया है कि परन्तुक जोडने वाले संशोधन केशवानन्द भारती मामले में निर्धारित अनुपात के बिल्कुल विपरीत है । प्रश्न यह है कि अनुपात निर्धारित होने के कारण क्या ऐसा किया जा सकता है क्यों कि इसे दोनो सभाओं के समक्ष रखा जाना होता है । सभा के समक्ष उसे रखना संविधान का उल्लंघन होगा । प्रश्न यह हैं कि अवैद ढंग से संविधान से बाहर जाकर भी लोगो का मत प्राप्त करना सरकार के अधिकाराधीन नहीं है । अत: मेरा सुझाव हैं कि परन्तुक के बाद खंड 2 में यह स्पष्टोकरण अंत:स्थापित किया जाये ।

जनमत सम्बधी खण्ड बहुत अधिक बेढंग है । मैंने सुझाव दिया है, यदि मामला लोगों के पास भेजा ही जाना है, तो यह उस हालत में ही भेजा जाना चाहिये जब लोकसभा और राज्यसभा में यह भेद हो ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : कहा गया है कि जनमत बडा जटील है, मंहगा है, इसपर काफी समय लगता है और बडी अनिश्चित प्रक्रिया हैं और यदि केवल 51% इसके लिये मतदान करे तो यह पर्याप्त है । मेरा यह कहना है कि मैं सम्पति के अधिकार सम्बधी खण्ड को छोडकर केशवनन्द भारती के मामले वाली स्थिति को हरजीह दूंगा ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : जहां तक मौलिक बातों का सम्बंध है, लोकतंत्री अधिकारों को क्षति पहुंचाने का उल्लेख किया गया है जैसे कि नागरिकों के अधिकारों को कम करना या उन्हे छोनना । न्यायपालिका को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होना चाहिये । ये मौलिक बातें संविधान में नजर नहीं आती । कहा गया है की संधोय ढांचा हो मौलिक बात होनी चाहिये । इस खण्ड का उद्देश्य संविधान को अपरिवर्तनशील बनाना है । किसी भी संविधान को जीवित तथा विकासशील मशीन होना चाहिये । एक खण्ड में जनमत का प्रश्न निहित है । इससे संसद को सर्वोच्चता के बारे में एक मौलिक बात उठाई गई है । अब उस सिद्धान्त को समाप्त करने की मांग की गई है । संसद को शक्ति देने के नाम से संविधान में एक खतरनाक सिद्धान्त पुर:स्थापित करने की मांग को गई है और इसलिए हम इस खण्ड को पुरजोर विरोध करते हैं ।

श्री नरेन्द्र पो० नथवानी (जुनागढ) : मेरा पहला संशोधन दुसरे परन्तुक, जिसे जोड़ने की मांग की गई है, का विरोध करता है । एक प्रसिद्ध तथा विद्वान विधिवेता ने यह बताया हैं कि केशवनन्द भारतो के निर्णय के बारे में जनमत एक ऐसा तरीका नही हैं, जिसका सहारा मुल ढांचे में परिवर्तन

[श्री नरेन्द्र पो० नथनानी]

करने के लिए कानूनी रूप से लिया जा सकता है। उन्होंने कहा है की जनमत के संदर्भ में मौलिक बातों के संशोधन के प्रश्न पर केशवनन्द भारती के मामले में विस्तृत रूप से चर्चा कि गई थी, परन्तु सर्वोच्य न्यायालय ने जनमत को मौलिक बातों में परिवर्तन करने के तरीके के रूप में बिलकुल उल्लेख नहीं किया है। अतः मामला ठप्प हो गया और जब तक केशवनन्द भारती के मामले की समीक्षा नहीं की जाती, वर्तमान संशोधन उसके विपरीत मालुम पडता है। सरकार को मौलिक बातों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि जनमत सम्बन्धी उपबन्ध को रखा जाता है, तो यह देखना होगा की कम से कम 51% वोट देने वाले नागरीक इन संशोधनो का समर्थन करें।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील): झुठी प्रतिष्ठा के प्रश्न पर अडे रहने के बजाय विधि मंत्री को इस अवांछनीय खण्ड को वापस लेना चाहिए। विधि मंत्री इस देश को तथा संसद को क्या गारंटी देंगे कि इस खण्ड का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा और यह राष्ट्र के हित के विरूद्ध काम नहीं करेगा। यह प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपे जाने का एक प्रयास है।

आशा है कि विधि मंत्री किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने का अवसर नहीं देंगे जो देश के हित के विरुध्द हो और इस खण्ड को वापस ले लेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): We have agreed to the principle that elected Parliament is not supreme. My suggestion is that instead of 26 percent votes 75 percent voters should give their concurrence for changing basic features of the constitution. Then all apprehensions will be removed. Secondly we may provide that if the people from South do not want to amend a particular provision. it should be left unchanged.

The basic features of our Constitution represent our basic values, no dictator should be allowed to temper with them.

श्री सी० के० चंद्रप्पन (कन्ननौर): हम जनमत के सिद्धान्त का समर्थन करते है अब हम केशवानन्द भारती के मामले में थोडा आगे जाना चाहते हैं कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन जो बुनियादी बाते हैं उनमें परिवर्तन की पाटी जनता द्वारा कि जानी चाहिये। हमने जनमत को सर्वोच्च माना है क्योंकी किन्ही परिस्थिति में संसद का दूरुपयोग किया जा सकता है।

संशोधन संख्या 202 में हमने संसदीय प्रणाली और मंत्री मंडलीय प्रणाली की सरकार को आधारभुत स्वीकार किया है। राष्ट्रपति शासन पध्दती का मैं समर्थन नहीं करता।

संविधान मे परिवर्तन करना संमत होना चाहिये अन्यथा वह जनता की जरुरतों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा। कल दूसरे लोग सत्ता में आ सकते हैं। इसिलिए संविधान लचीला होना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): जनमत के सिद्धान्त का मैं अधिक उत्साह से समर्थन नहीं कर सकता। मेरे विचार से तो इससे समस्याएं और उलझ जायेंगी। फिर उस पर खर्चा भी बहुत आयेगा। यदि 51% बहुमत न मिला तो दोबारा जनमत कराना पडेगा।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य केशवानन्द भारती के मामले और 42 वें संशोधन के बीच अनुपात का पता लगाना है। लेकीन इस संशोधन से तो केशवानन्द भारती मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकारा भी गया है और उसे नकारा भी गया है।

देखना यह है कि जनमत के द्वारा पूरे संविधान की भावना को ही समाप्त नहीं कर दिया जाता। दूसरे, यदि हम सम्राट पद्धति चलाना चाहें तो क्या उस बारे में भी जनमत लियां जा सकेगा।

फिर लोक सभा के प्रति सरकार उत्तरदायी है क्या इस चीज को बदला जा सकता है। मेरा विचार है कि जनमत के सिद्धान्त से समस्या नहीं सुलझ सकती।

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 22 अगस्त, 1978/31 श्रावण, 1900 (शक) के 11.00 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 22nd August, 1978/Sravana 31, 1900 (Saka).

भा. स. मु. ना.—वि. 1—324 एल. एस. एस./78—6-11-78—210.